भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 380
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर सुरक्षा अवसंरचना

380. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

श्री राहुल सिंह लोधीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की साइबर सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या पहल है;

(ख) विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना-साझाकरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) फोरेंसिक और डिजिटल जांच क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए पूरे देश में एक एकीकृत और समन्वित प्रणाली को संस्थागत रूप दिया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का कार्य सुनिश्चित करता है, जबकि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावकारी तरीके से निपटता है।

भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सर्ट-इन, सक्रिय खतरा शमन (प्रोएक्टिव थ्रेट मिटिगेशन) के लिए विभिन्न सेक्टरों के संगठनों के साथ विशिष्ट अलर्ट साझा करने के लिए एक ऑटोमेटेड साइबर थ्रेट

इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म संचालित करता है। सर्ट-इन द्वारा संचालित किया जा रहा राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी), साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए, संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है। सर्ट-इन नवीनतम साइबर खतरों/कमियों के बारे में समय-समय पर अलर्ट और एडवाइजरी जारी करती है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के तहत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) भी स्थापित किया है। एनआईसी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों तथा जिला प्रशासकों को विभिन्न ई-गवर्नेंस समाधानों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी सहायता प्रदान करता है और औद्योगिक मानकों और पद्धतियों के अनुरूप सूचना सुरक्षा नीतियों और प्रथाओं का अनुसरण करता है, जिसका उद्देश्य साइबर-हमले को रोकना और डेटा को सुरक्षित रखना है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा खतरों, राष्ट्रीय सुरक्षा और इसी तरह की चिंताओं के खिलाफ उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मैक (मल्टी एजेंसी सेंटर) प्लेटफॉर्म के तहत साइमैक (साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर) की स्थापना सभी साइबर सुरक्षा एजेंसियां जैसे की IB, CIRA, DCYA, DOT, CERT-IN, I4C, NCIIPC और NIC, के साथ की है । साइमैक प्लेटफॉर्म सभी साइबर सुरक्षा एजेंसियों में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए एक एकीकृत और रणनीतिक मंच के रूप में काम करता है । वास्तविक समय की निगरानी, खतरे की खुफिया साझाकरण और समन्वित प्रतिक्रिया क्षमताओं को सक्षम करके, यह साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सक्रिय पहचान और विश्लेषण और सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। सभी एजेंसियों को राष्ट्रीय साइबर रक्षा को मजबूत करने और भारतीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए इस प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) मुख्यतः सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में काम कर रही सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर फोरेंसिक सुविधाएं प्रदान करने और डिजिटल जांच की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए असम में एक नई राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक (जांच) प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला 29.08. 2025 से संचालित हो गयी है ।

लोक सभा अता.प्र.सं. 380, दिनांक 02.12.2025

राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक (जांच) प्रयोगशाला {एनसीएफएल (आई)}, एक 'अत्याधुनिक' सुविधा है, जिसे वर्ष 2019 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत द्वारका, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच के दौरान फोरेंसिक सहायता प्रदान की जा सके। देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनसीएफएल की सेवाओं अथवा सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। दिनांक 31.10.2025 तक, एनसीएफएल ने साइबर अपराध से संबंधित लगभग 12,952 साइबर मामलों में राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। दिनांक 31.10.2025 तक, 2118 एलईए कार्मिकों ने नवीनतम फोरेंसिक उपकरणों एवं तकनीकों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

वर्ष 2018 में शुरू की गई महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं। इस स्कीम के तहत, गृह मंत्रालय ने साइबर फोरेंसिक परामर्शदाताओं के गठन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी थी। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं।

सर्ट-इन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वय और जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत सभी राज्यों में अभ्यास (ड्रिल) के साथ कार्यशालाएं आयोजित करती है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अंतर्गत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमें (जेसीसीटी) गठित की गई हैं, जो पूरे देश को कवर करती हैं तथा ये टीमें साइबर अपराध हॉटस्पॉट/मल्टी-ज्यूरिस्डिक्शनल मामलों से संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया जा सके।

समन्वय प्लेटफॉर्म को साइबर अपराध संबंधी आंकड़ों को साझा करने और इनके विश्लेषण हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, आंकड़ों के संग्रहण और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए शुरू किया गया है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतरराज्यीय संपर्कों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। 'प्रतिबिंब' मॉड्यूल विभिन्न अधिकार-क्षेत्र के अधिकारियों को

दृश्यता प्रदान करने के लिए अपराधियों और अपराध के बुनियादी ढांचे के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और एसएमई से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने और उसे प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप 16,840 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

वृहत ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म, जिसका नाम 'साइट्रेन' है, की स्थापना साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक और अभियोजन में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है। यह प्रमाणन के साथ मानक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, जिससे सभी एजेंसियों में एक जैसा कौशल विकास सुनिश्चित होता है। 1,44,895 पुलिस अधिकारी/न्यायधीश/अभियोजक/सीपीओ/ सीएपीएफ पंजीकृत हैं और दिनांक 31.10.2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से 1,19,628 प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

******